बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं0–03/आ०1–62/2019 ...../श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत को जिला पदाधिकारी के आदेशालोक में गठित जाँच कमिटी के प्रतिवेदन निष्कर्ष में दोषी बनाये जाने, मधवापुर प्रखण्ड अंतर्गत फर्जी शिक्षकों को वेतन भुगतान के फलस्वरूप मधवापुर थाना कांड संख्या–135/19 में सह अभियुक्त संख्या–03 बनाया जाना, इनके कार्यावधि में मधवापुर प्रखण्ड अंतर्गत फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान के क्रम में कुल राशि 30,55,247.00/– (तीस लाख पचपन हजार दो सौ सैंतालिस) रूपये की अवैध निकासी करने, मधवापुर के अवैध प्रखंड शिक्षकों/पंचायत शिक्षकों के संबंध में इनके कार्यालय में संचालित संचिका की मांग किये जाने के उपरांत संचिका नहीं देकर स्वयं अपने पास संचिका रखने और अवैध रूप से नियोजित शिक्षकों की जाँच कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं करने और उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने, मधवापुर प्रखंड के अवैध नियोजित शिक्षकों के संबंध में ससमय निर्णय नहीं लेकर उन्हें अवैध भुगतान करने की दिशा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधवापुर को सहयोग प्रदान करने आदि आरोपों में विभागीय आदेश संख्या–368299 दिनांक 20.02.2026 द्वारा **"50 प्रतिशत पेंशन राशि की कटौती सदा के लिए"** की शास्ति अधिरोपित की गयी। इनके द्वारा शास्ति के संबंध में अपील किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24 के कंडिका 2 में अंकित है कि सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, हालांकि ज्ञापन के रुप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी। श्री राजेश कुमार सिन्हा के द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी तो दायर नहीं किया गया है, परंतु उनके अपील आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार किया गया।

3. श्री राजेश कुमार सिन्हा के आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार करते हुए सक्षम प्राधिकार को यह परिलक्षित हुआ है कि इन्होंने अपने आवेदन में उन्हीं बातों का दोहराव किया है, जो इनके द्वारा जांच/संचालन के दौरान कही गई है और जिसपर भली–भांति समीक्षा कर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत शास्ति विनिश्चित की गई, जिसपर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त हुई है। अंकनीय है कि श्री सिन्हा पर गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि के दुर्विनियोग आदि के आरोप प्रमाणित हुए हैं।

4. अपील आवेदन (पुनर्विलोकन अर्जी) की सक्षम प्राधिकार के स्तर पर की गई समीक्षा के उपरांत श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार आलोच्य पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ०1–62/2019.i/436111./ पटना, दिनांक–: 09–06–2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै.दा.नि. कोषांग) वित्त विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/श्री राजेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत, पता–शेरशाह रोड, गुड़ की मंडी (गुप्ता कॉलोनी), अपोजिट सकड़ी गली मोड़, पटना, पिन–800007/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 शिक्षा विभाग एवं आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 09-06-2026 16:50:08

E:\Manish